न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान श्रवण राम बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 48/2025
निर्णय दिनांक ....14/07/2025...

श्रवण राम पुत्र खेमा राम जाति कुम्हार निवासी जवानीपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा जवानीपुरा पटवार हल्का सात्यू तहसील तारानगर के खाता संख्या 94 खसरा सं. 1624/411 तादादी 4.3878, हैक्ट, खसरा नं. 396 तादादी 3.1613 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की वर्तमान राजस्व जमाबंदी में भूलवश प्रार्थी का नाम श्रवण राम पुत्र खेमा राम की जगह श्रवणकुमार पुत्र खेमाराम दर्ज हो गया, जो कि गलत दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी का अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र में सही नाम श्रवण राम पुत्र खेमा राम है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी उक्त कृषिभूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरुस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा जवानीपुरा पटवार हल्का सात्यू तहसील तारानगर के खाता संख्या 94 खसरा सं. 1624/411 तादादी 4.3878, हैक्ट, खसरा नं. 396 तादादी 3.1613 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम श्रवण राम पुत्र खेमा राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम श्रवण राम पुत्र खेमा राम व श्रवणकुमार पुत्र खेमाराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम श्रवण राम पुत्र खेमा राम पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम श्रवण राम पुत्र खेमा राम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम श्रवणकुमार पुत्र खेमाराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही जवानीपुरा पटवार हल्का सात्यू तहसील तारानगर के खाता संख्या 94 खसरा सं. 1624/411 तादादी 4.3878, हैक्ट, खसरा नं. 396 तादादी 3.1613 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम **श्रवणकुमार पुत्र खेमाराम Delete** कर इसके स्थान पर **श्रवण राम पुत्र खेमा राम** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....14/07/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)